रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल, 24, 1985/वैशाख 4, 1907
No. 182] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 24, 1985/VAISAKHA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1985

अधिसूचना

सं. 136/85-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 376(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 116-सीमाशुल्क सा.का.नि. 338(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1985 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 2 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
2	आस्ट्रेलियाई डालर	12.600

[फा. सं. 503/5/85-सीमाशुल्क-6]

आर. एस. सिद्धू, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th April, 1985

NOTIFICATION

No. 136|85-CUSTOMS

G.S.R. 376(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 118-Cus [G.S.R. No. 338(E)] dated the 1st April, 1985 namely:—

In the Schedule below the said notification for serial Nos. 2 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
2	Australian Dollars	12.600

[F. No. 503|5|85-Cus. VI]

R. S. SIDHU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985